

आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 118/XXX-2/2018-30(13)/2017/दिनांक 23 अप्रैल 2019 एवं कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 723/XIII-1/2019-3(11)/2010 दिनांक 26 अप्रैल 2019 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 23 में उल्लिखित समय सारिणी का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश 102/XXX(2)/2018/30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 दिनांक 14 अप्रैल 2018 एवं पत्र संख्या 673/XIII-1/18-3(2)17 दिनांक 17 अप्रैल 2018 के क्रम में वर्ष 2018 में स्थानान्तरण हेतु कृषि विभाग के कार्मिकों के लिए सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। तत्क्रम में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में भी विगत वर्ष में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु किये गये दुर्गम/सुगम क्षेत्रों का चिन्हीकरण यथावत रखा जाता है।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-कू0नि0/425 /स्था0/वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम/2019-20/दिनांक 01/05/19

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त कार्यालयाध्यक्ष कृषि विभाग उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
3. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
5. संयुक्त सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड